

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-9  
संख्या-24 / दो-9-2018-17(1) / 2014  
लखनऊ : दिनांक : 17 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

श्री बसन्त कुमार गुप्ता, पी0सी0एस0 को उनके पत्र दिनांक 06.12.2017 एवं जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के पत्र दिनांक 18.12.2017 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली-1985 के नियम-16(1)(ग) (क)सपठित नियम-17 (1)(क) के अधीन ग्राम व पोस्ट रतषड़ जिला बलिया के पैतृक घर को पुनर्निर्माण हेतु उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या- जी.ए.यू./73307 से रू0-5,00,000/- (रूपये पांच लाख मात्र) के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ताधीन प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त स्वीकृति उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि के 3/4 भाग से अधिक नहीं होगी।
- (2) यदि उक्त अन्तिम निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु न किया जा सके अथवा उसका कोई भाग शेष बच जाये तो वह धनराशि खाते में तुरन्त वापस जमा करा दी जाय।
- (3) उक्त अन्तिम निष्कासन उन्हें विशेष दशा में स्वीकृत किया जा रहा है। निष्कासन से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (साक्ष्य सहित) शासन को तीन माह के भीतर अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

अशोक कुमार श्रीवास्तव  
विशेष सचिव।

संख्या-24(1)/दो-9-2018, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- पंजीकृत- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, निधि-24, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।  
2- मुख्य कोषाधिकारी, फर्रुखाबाद।  
3- जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।  
4- श्री बसन्त कुमार गुप्त, पी0सी0एस0, डिप्टी कलेक्टर, फर्रुखाबाद।  
✓5- नियुक्ति अनुभाग-7 / गार्ड बुक की प्रति / कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

विश्वनाथ दुबे  
( विश्वनाथ दुबे )  
अनु सचिव।